संख्या-50/2024/756/छप्पन-2024-31/2016(स्टेज-2)

प्रेषक,

आनन्द कौशिक,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 31 मई, 2024

विषय: नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के विस्तारीकरण (स्टेज-2/फेज-1) के निर्माण हेतु अर्जित भूमि से प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन व पुनर्व्यवस्थापन हेतु धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कलैक्टर/अपर जिलाधिकारी (भू0अ0), गौतमबुद्धनगर के पत्रांक 269/आठ-अ0जि0अ0(भू0अ0)/नो0अ0ए0जेवर/गौतमबुद्धनगर दिनांक 07 फरवरी, 2024, विशेष कार्याधिकारी/नोडल अधिकारी, नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट लि0 के पत्रांक NIAL/Land/733/2024 दिनांक 14 मई, 2024 एवं अपने पत्रांक 50/ना0उ0नि0-2024-116/2016 दिनांक 21 मई, 2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के विस्तारीकरण (स्टेज-2/फेज-1) के निर्माण हेतु अर्जित की गई भूमि से प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन व पुनर्व्यवस्थापन हेतु अनुमानित धनराशि रू0 1296.8258 करोड़ (रूपए बारह अरब छियान्नवे करोड़ बयासी लाख अट्ठावन हजार मात्र) पर अनुमोदन प्रदान करते हुए उक्त धनराशि में से NIAL में राज्य सरकार की अंशधारिता 37.5% के अनुसार धनराशि रू0 4,86,30,96,750/- (रूपए चार अरब छियासी करोड़ तीस लाख छियान्नवे हजार सात सौ पचास मात्र) पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ सम्पूर्ण धनराशि अर्थात् रू0 4,86,30,96,750/- (रूपए चार अरब छियासी करोड़ तीस लाख छियान्नवे हजार सात सौ पचास मात्र) को वित्तीय वर्ष 2024-2025 में व्यय की अनुमति सहित कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर के निवर्तन पर रखे जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के विस्तारीकरण (स्टेज-2/फेज-1) के निर्माण हेतु अर्जित की गई भूमि से प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन व पुनर्व्यवस्थापन हेतु अनुमानित धनराशि रू0 1296.8258 करोड़ (रूपए बारह अरब छियान्नवे करोड़ बयासी लाख अट्ठावन हजार मात्र) पर अनुमोदन प्रदान करते हुए उक्त धनराशि में से NIAL में राज्य सरकार की अंशधारिता 37.5% के अनुसार धनराशि रू0 4,86,30,96,750/- (रूपए चार अरब छियासी करोड़ तीस लाख छियान्नवे हजार सात सौ पचास मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ सम्पूर्ण धनराशि अर्थात् रू0 4,86,30,96,750/- (रूपए चार अरब छियासी करोड़ तीस लाख छियान्नवे हजार सात सौ पचास मात्र) को वित्तीय वर्ष 2024-2025 में व्यय की अनुमति सहित कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(1) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य कराया जाएगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, नागरिक उड्डयन की होगी।

(3) बजट प्रावधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा।

(4) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृति नहीं की गई है।

(5) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जाएगा।

(6) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(7) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 04 मार्च, 2024 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनांक 26 अगस्त, 2014 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(9) लोक सभा-2024 के सामान्य निर्वाचन हेतु आचार संहिता प्रभावी है। उक्त के आलोक में निदेशक, नागरिक उड्डयन वित्तीय स्वीकृति/आवंटन निर्गत करते समय आचार संहिता का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में संतुष्ट हो लेंगे।

(10) अवमुक्त की गई धनराशि से सम्बन्धित व्यय का विवरण कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर द्वारा निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ के माध्यम से शासन को यथासमय उपलब्ध कराया जाएगा।

(11) निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 धन आवंटन/धनराशि अवमुक्त करने के पूर्व लोक सभा चुनाव-2024 के दृष्टिगत वर्तमान में लागू आचार संहिता का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित कर लेंगे।

(12) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के विस्तारीकरण (स्टेज-2/फेज-1) के निर्माण हेतु अर्जित भूमि से प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन व पुनर्व्यवस्थापन हेतु अनुमानित धनराशि रू0 1296.8258 करोड़ (रूपए बारह अरब छियान्नवे करोड़ बयासी लाख अट्ठावन हजार मात्र) में से NIAL के शेष अंशधारकों यथा- नॉएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण/ग्रेटर नॉएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण/यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा भी अपनी-अपनी अंशधारिता के अनुसार धनराशि कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर को यथाशीघ्र उपलब्ध कराई जाएगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 4,86,30,96,750/- (रूपये चार अरब छियासी करोड़ तीस लाख छियान्नवे हजार सात सौ पचास मात्र) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा तत्काल आवंटित कर कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर के निर्वतन पर रखी जायेगी। कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर द्वारा सम्बन्धित को यथा आवश्यकतानुसार धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी।

4- उक्त धनराशि वित्तीय 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-38 के अधीन पूंजी लेखा लेखा शीर्ष ''5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-21-जनपद गौतमबुद्धनगर के जेवर में अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना-60-भूमि क्रय'' से वहन की जाएगी।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या: ई-7-6-दस-2024-25, दिनांक 31 मई, 2024 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव

संख्या-50/2024/756(1)/छप्पन-2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10
3- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नॉएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण/ग्रेटर नॉएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण/यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे सन्दर्भगत प्रकरण में अनुमानित धनराशि रू0 1296.8258 करोड़ (रूपए बारह अरब छियान्नवे करोड़ बयासी लाख अट्ठावन हजार मात्र) में से NIAL में अपनी-अपनी अंशधारिता के अनुसार धनराशि कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर के निवर्तन पर यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4- आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
5- जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ कोषाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
7- निदेशक, भूमि अध्याप्ति, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
8- कलैक्टर/अपर जिलाधिकारी(भू0अ0), गौतमबुद्धनगर को उनके पत्रांक 269/आठ-अ0जि0अ0(भू0अ0)/नो0अ0ए0जेवर/गौतमबुद्धनगर दिनांक 07 फरवरी, 2024 के सन्दर्भ में।
9- विशेष कार्याधिकारी (श्री शैलेन्द्र कुमार भाटिया), नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट लि0/नोडल अधिकारी, जेवर एयरपोर्ट, गौतमबुद्धनगर।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/राजस्व अनुभाग-13.
11- समीक्षा अधिकारी (बजट)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in